

न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), ललितपुर।

विविध वाद संख्या 739/2023

सरकार बनाम भगत सिंह आदि

अ०सं० 20/2023

अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि०,

थाना मदनपुर, जिला ललितपुर।

21.01.2026

विवेचक द्वारा बाद विवेचना वादी/साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं., हस्व अनुमोदनशुदा गैंगचार्ट व अन्य प्रलेखनीय साक्ष्य के आधार पर अ०सं० 20/2023 अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि०, थाना मदनपुर, जिला ललितपुर में अभियुक्तगण 1. भगत सिंह(गैंग लीडर), 2. रजऊ राजा(गैंग सदस्य) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को प्रसंज्ञान के बिन्दुओं पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि गैंग चार्ट का अनुमोदन भी निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर एवं पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा किया गया है। मु०अ०सं० 08/2022, धारा 341, 342, 376-डी, 506 भा.द.सं. एवं धारा 5/6 पोक्सो एक्ट के अपराध के तहत अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया गया है। केस डायरी में साक्षीगण तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के परिशीलन किये जाने के पश्चात प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण 1. भगत सिंह(गैंग लीडर), 2. रजऊ राजा(गैंग सदस्य) का एक सक्रिय गैंग है, और उनके द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से महिलाओं को डरा धमकाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने जैसे गंभीर अपराध में लिप्त रहते हुए समाज विरोधी क्रिया-कलाप अपने आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ हेतु आम-जनमानस में भय व आतंक का माहौल व्याप्त करना पाये जाने पर उनके विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

आदेश

अभियुक्तगण 1. भगत सिंह(गैंग लीडर), 2. रजऊ राजा(गैंग सदस्य) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के तहत प्रसंज्ञान लिया जाता है। पत्रावली वास्ते अभियुक्तगण उपस्थिति हेतु नियत दिनांक 09.02.2026 को पेश हो।

दिनांक 21.01.2026

(सुनील सिंह)

अपर जिला एवं सत्र/

विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट)

ललितपुर।